

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यभारित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में एक फर्जी परिपत्र एफ 11/1/2008/नियम-चार, दिनांक 16-10-2010 शासन के ध्यान में आया है । यह परिपत्र पूर्णतः जाली एवं कपटपूर्ण है । अतः शासन के समस्त विभाग इस परिपत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करें । उक्त संबंध में वित्त विभाग द्वारा क्रमांक एफ 11-3/2013/नियम/चार, दिनांक 2-2-2013 द्वारा सभी विभागों हेतु आवश्यक निर्देश भी जारी किये हैं।

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-3/2013/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी, 2013

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।


विषय- कार्यभारित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ देने बाबत ।
संदर्भ- फर्जी परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 16 अक्टूबर
2010.

—••—

संदर्भित परिपत्र की फोटोप्रति प्रदेश के विभिन्न शासकीय कार्यालयों में प्रचलित होने का तथ्य शासन के ध्यान में आया है, जिसकी विषयवस्तु में कार्यभारित कर्मचारियों को समयमान का लाभ देने का उल्लेख है । यह परिपत्र जाली एवं कपटपूर्ण है ।

2/ अतः कृपया अधिनस्थ कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों एवं लेखा संबंधी कार्य देखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त तथ्य से अवगत कराते हुये, कार्यवाही न करने के निर्देश दें । यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि संलग्न आदेश के अंतर्गत कार्यवाही विधि सम्यक नहीं है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(मनीष रस्तोगी)
सचिव


मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-3/2013/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी, 2013

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(सुरेन्द्र नाथ शुक्ल)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग